रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 313] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 17, 1975/कार्तिक 26, 1897

No. 313] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 17, 1975/KARTIKA 26, 1897

इस भाग मे भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November 1975

G.S.R. 560(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2), read with clause (d) of sub-section (1), of section 7 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), and rule 4 of the Food Corporations Rules, 1965, the Central Government hereby appoints Shri A. K. Dutt, I.A.S., to be the Managing Director of Food Corporation of India for a period upto the 10th March, 1976 *vice* Shri N Narasimha Rau, resigned, and directs that the following further amendment shall be made in the notification of the Government of India, in the late Ministry of Food and Agriculture (Department of Food), No. G S.R. 37, dated the 2nd January, 1965, namely:—

In the said notification, for entry (5), the following entry shall be substituted, namely :—

"(5) Shri A. K. Dutt, I.A.S.".

[No. F.5-10/75-FC-I.]

L. C. GUPTA, Jt. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1975

सा० का० नि० 560 (अ).—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 7 की उपधारा (2), उपधारा (1) के खण्ड (घ) के साथ पठित और खाद्य निगम नियम, 1965 के नियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री ए० के० दत्त, आई० ए० एस०, को श्री एन० नरसिम्हा राव के त्यागपत्र देने पर, 10 मार्च, 1976 तक की अवधि के लिए भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्ध निदेशक के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करती है और निदेश देती है कि भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की तारीख 2 जनवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 37 में निम्नलिखित और संशोधन किया जाए, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में प्रविष्टि (5) में निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(5) श्री ए० के० दत्त, आई० ए० एस० " ।

[सं० फा० 5–10/75–एफ० सी०–I]

एल० सी० गुप्त, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1975